सार्वजनिक सूचना

नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागंज ऊधमसिंहनगर सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 **(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त)** की धारा–298 की उपधारा–2 खण्ड (झ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए **नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली–2011** के क्रियान्वयन हेतु **''नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017''** बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंहनगर को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियांद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः–

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंहनगर की **''नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017''** कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंहनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

परिभाषायें:–

(i) **''नगरीय ठोस अपशिष्ठ''** के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(ii) **''उपविधि''** से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है;

(iii) **''नगर पालिका''** से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंहनगर से है;

(iv) **''अधिशासी अधिकारी''** से अभिप्रेत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(v) **''सफाई निरीक्षक''** से अभिप्रेत नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंहनगर में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगर पालिका बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(vi) **''निरीक्षण अधिकारी''** का अभिप्रेत अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

(vii) **''नियम''** से अभिप्रेत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं०, 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(viii) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड मे यथाप्रवृत्त) से है।

(ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट" (biodegrabable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ, खाना, सब्जी एवं फलो के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

(x) "जीव अनाशित अपशिष्ठ" (Non-biodegrabable waste) का अभिप्रेत ऐसें कूड़ा–कचरा सामग्री से हैं, जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।

(xi) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ठ" (recyclable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे–प्लास्टिक, पौलीथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड आदि।

(xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ठ" (biomedical waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसन्धान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) "संग्रहण" (collection) से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(xiv) "कचरा खाद बनाने" (composting) एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (demolition and construction waste) से अभिप्रेत सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(xvi) "व्ययन" (disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को संदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(xvii) "भूमिकरण" (landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है।

(xix) "निक्षालितक" (leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(xx) "नगर पालिका प्राधिकारी" (municipal authority) में म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत जिसके अन्तर्गत अधीसूचित क्षेत्र, समिति (एन०ए०सी०) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xxi) "स्थानीय प्राधिकारी" (local authority) का अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है।

(xxii) 'नगरीय ठोस अपशिष्ट" (municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों मे पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxiii) "सुविधा के परिचालक" (operator of facility) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टो के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिये नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiv) "पुनर्चक्रण" (recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामाग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता हैं। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता हैं।

(xxv) "पृथक्करण" (segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxvi) "भण्डारण" (storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvii) "परिवहन" (transportation) से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके।

4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सडक, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेंगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरें में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत, के द्वार निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिए जायेंगे।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिये निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहां तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूडे परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा जहां ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (hazaradous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार (door to door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस मे नगर पालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

14. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रू० 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी।

15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

16. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक–अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है, तो प्रथम बार रू0 500.00 दूसरी बार पर रू0 1000.00 एवं तीसरी बार मे रू0 10,000.00 अर्थदण्ड (penalty) देना होगा।

17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सडक या नाली के उपर से नही हटाता है तो प्रथम बार रू 1,000.00, द्वितीय बार रू0 5,000.00 एवं तीसरी बार में रू 10,000.00 की अर्थदण्ड (penalty) देना होगा।

18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सेवा शुल्क (User charges) की दरें निम्नवत है।

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User charges) की दरें

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी [illegible] के प्रकार	जैविक–अजैविक कूडा अलग–अलग सडक तक पहुँचाने पर (रू0)	मिश्रित कूडा सडक तक पहुँचाने पर (रू0)	जैविक–अजैविक कूडा घर/श्रोत पर ही अलग–अलग देने पर (रू0)	घर [illegible] पर ही मिश्रित कूडा देने पर (रू0)
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	10	15	20	30
2.	मध्यम वग कम आय वाले घर	15	20	30	40
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	20	25	40	50
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	100	200
5.	रेस्टोरेन्ट	250	400	250	400
6.	होटल/लाजिंग/गेस्ट हाउस	300	400	300	400
7.	धर्मशाला	20	30	40	50
8.	बरातघर	1000	1500	1000	1500
9.	बैकरी	150	200	150	200
10	कार्यालय	50	100	50	100
11	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100	200	200	250
12	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	20	25	25	25

13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	200	400	400	600
14	क्लीनिक (मेडिकल)	100	200	150	200
15	दुकान	100	200	150	250
16	(क) फैक्ट्री (उद्योग) छोटे	200	400	300	450
	(ख) फैक्ट्री (उद्योग) मध्यम	400	700	600	900
	(ग) फैक्ट्री (उद्योग) बड़े	2000	3000	2000	3500
17	वर्कशाप/कबाडी	1000	1500	500	700
18	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/ विवाह आदि प्रति आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो	200	500	500	800
20.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	400	500	500	1000

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे--भण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा/जुलूस आदि पर उपरोक्त दरें लागू नही होगी।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड मे यथावृत्त) की धारा 299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रू० 10,000.00 (रू० दस हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रू० 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागज, ऊधमसिंहनगर में निहित होगा।

(नज़र अली)
अधिशासी अधिकारी

(एo केo राणा)
अध्यक्ष

कार्यालय–नगर पालिका परिषद महुआखेड़ागंज (ऊधमसिंहनगर)

Email-eomku-mb-uk@nic.in Tel.05947-226327

पत्रांक : 213 / यूजर चार्ज उपविधि / 2017–18 दिनांक: 8 सितम्बर 2017

प्रतिलिपिः– सम्पादक "दैनिक हिन्दुस्तान" समाचार–पत्र, को इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त उपविधि को अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में कम से कम भाग में सरकारी दरों पर उक्त उपविधि प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु समाचार पत्र की 20 प्रतियों सहित उपलब्ध करानें हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यालय नोटिस वोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।

2– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।

4– निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना उत्तराखण्ड की वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5– उप जिलाधिकारी, काशीपुर।

6– मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम काशीपुर।

7– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जसपुर, बाजपुर, गदरपुर / नगर पंचायत महुआडाबरा, सुल्तानपुर, केलाखेड़ा।

8– सम्बन्धित पत्रावली।

9– पालिका कार्यालय नोटिस बोर्ड ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद